न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2019

दायर तारीख :– 15-01-2019

1. छोटू पुत्र नाथू जाति रैगर निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— **प्रार्थी**

बनाम

1. भागीरथ पुत्र भीवा जाति गुर्जर निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. फूली देवी पत्नि छोटूराम जाति रैगर निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. चिम्मन लाल पुत्र सोहनलाल
4. गोपाल पुत्र सोहनलाल
5. बिमला
6. सन्तोष
7. कौशल्या
8. सकुन्तला

(5–8) पुत्रियान सोहनलाल

(3–8) समस्त जाति बलाई निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढ़ी

एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 11.11.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का पालडी के खाता संख्या 34 के हाल आराजी खसरा नम्बर 590/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.50 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 है। यह है कि अप्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 101 के खसरा नंबर 601/525 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खाता संख्या 184 के खसरा नंबर 600/525 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 599/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 97 के खसरा नंबर 591/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर की सीमाएं प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

की खातेदारी भूमि से लगती हुई है। यह है कि प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ. /2018/1188 दिनांक 25.04.2018 की पालना में दिनांक 15.05.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया है। यह है कि अप्रार्थीगण आये दिन अपने भूमि की सीमाओं का विस्तार करने में लगे हुए है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के डोल की सीमाओं को काट–काट कर अपनी भूमि में मिलाने की कोशिश करते है। यह है कि खसरा नंबर 590/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर की मौके पर नाप नपत करवाकर जरिये तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी आदि को आदेश दिलवाकर मय पुलिस जाप्ता से जिसमें महिला पुलिस जाप्ता भी शामिल हो से पत्थरगढ़ी स्थाई मेड बन्दी सीमा चिन्ह कायम करवाये। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के खाता संख्या 34 के हाल आराजी खसरा नम्बर 590/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर स्थाई सीमाचिन्ह एवं पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा खाता संख्या 34 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा खाता संख्या 101 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा खाता संख्या 184 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा खाता संख्या 29 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा खाता संख्या 97 संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हरिकिशनुपरा, नकल मौका फर्द सीमाज्ञान दिनांक 15.08.2018 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के खाता संख्या 34 के हाल आराजी खसरा नम्बर 590/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.50 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने

अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/1188 दिनांक 25.04.2018 की पालना में दिनांक 15.05.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के खाता संख्या 34 के हाल आराजी खसरा नम्बर 590/525 रकबा 0.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 11.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)